

कार्यालय उ०प्र० सूचना आयोग, लखनऊ

पत्रांक: 352/रा०सू०आ०/रजिस्ट्रार/2026-27

दिनांक: 7 अप्रैल, 2026


कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश सं०-225/उ०प्र०सू०आ०/अधि०/203/2020 दिनांक 28 अक्टूबर, 2025 के माध्यम से सी०आर०एम० सेल की स्थापना की गयी थी।

एतत् क्रम में अधोहस्ताक्षरी के अधीन उक्त अनुभाग के कार्यों को सुचारु रूप से संचालित किये जाने के दृष्टिगत पूर्व में किये गये आदेश को अवक्रमित करते हुए सीआरएम अनुभाग में कार्य कर रहे कतिपय कार्मिकों के मध्य अग्रिम आदेशों तक कार्य आवंटन किया जाता है:-

क्रम सं०	कर्मचारियों के नाम व पदनाम	तैनाती स्थल	आवंटित कार्य
1	श्रीमती जया शर्मा	प्रभारी सीआरएम सेल/नकल अनुभाग	(1) ऑफलाइन/ऑनलाइन माध्यम से नकल हेतु प्राप्त आवेदनों का निस्तारण करते हुए सम्बन्धित को आदेशों की नकल उपलब्ध करायी जायेगी। (2) ऑनलाइन के माध्यम से अभिलेख प्राप्त करने हेतु किये गये आवेदनों का निस्तारण करते हुए ऑनलाइन अभिलेख आपके द्वारा प्राप्त कराये जायेंगे। समस्त प्रशासनिक निर्देशों का अनुपालन आपके द्वारा किया जायेगा।
2	श्रीमती नीति मल्होत्रा कनिष्ठ सहायक	सीआरएम सेल	(1) आयोग में ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त डाकों को आपके द्वारा कम्प्यूटर पर फीड किया जायेगा। (2) सीआरएम सेल में दूरस्थ आवेदकों के द्वारा दूरभाष के माध्यम से चाही गयी जानकारी का निस्तारण आपके द्वारा किया जायेगा। (3) आयोग में भौतिक रूप आने वाले आवेदकों के द्वारा चाही गयी जानकारी का निस्तारण आपके द्वारा किया जायेगा।
3	श्रीमती माधवी जायसवाल कनिष्ठ सहायक	सीआरएम सेल	(1) आयोग में ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त डाकों को आपके द्वारा कम्प्यूटर पर फीड किया जायेगा। (2) सीआरएम सेल में दूरस्थ आवेदकों के द्वारा दूरभाष के माध्यम से चाही गयी जानकारी का निस्तारण आपके द्वारा किया जायेगा। (3) आयोग में भौतिक रूप आने वाले आवेदकों के द्वारा चाही गयी जानकारी का निस्तारण आपके द्वारा किया जायेगा।
4	श्री धमेन्द्र कुमार सक्सेना	सीआरएम सेल	(1) आयोग में ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त डाकों को आपके द्वारा कम्प्यूटर पर फीड किया जायेगा। (2) सीआरएम सेल में दूरस्थ आवेदकों के द्वारा दूरभाष के माध्यम से चाही गयी जानकारी का निस्तारण आपके द्वारा किया जायेगा। (3) आयोग में भौतिक रूप आने वाले आवेदकों के द्वारा चाही गयी जानकारी का निस्तारण आपके द्वारा किया जायेगा।


यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।


07/04/26
(संदीप गुप्ता)
रजिस्ट्रार

पत्रांक - 352 | रा०सू०आ० | रजिस्ट्रार/2026-27 दिनांक - 07 अप्रैल, 2026

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा० राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, उ०प्र० लखनऊ।
2. सचिव/उपसचिव/वित्त एवं लेखाधिकारी, उ०प्र० सूचना आयोग, लखनऊ।
3. कम्प्यूटर अनुभाग एवं एन०आई० सी० को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. प्रभारी रजिस्ट्री अनुभाग/सीआरएम सेल, उ०प्र० सूचना आयोग, लखनऊ।
5. सम्बन्धित कर्मचारी।


07/04/26
(सदीप गुप्ता)
रजिस्ट्रार